

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री बेनी प्रसाद वर्मा के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु राज्य सभा का उप निर्वाचन

संक्षिप्त विवरण

1. उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री बेनी प्रसाद वर्मा के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु राज्य सभा के उप निर्वाचन की लोकसूचना (प्ररूप-1) हिन्दी में दैनिक समाचार पत्र "दैनिक हिन्दुस्तान" तथा PUBLIC NOTICE (FORM-1) अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र "THE TIMES OF INDIA, LUCKNOW" के दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अंक में प्रकाशित करायी गयी।
2. दिनांक 13 अगस्त, 2020 को श्री जय प्रकाश द्वारा उक्त निर्वाचन हेतु दो सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया।
3. उक्त सभी नामांकन-पत्रों को निर्वाचन के संचालन नियम, 1961 के नियम 7 के अनुसार प्ररूप 3ख / FORM 3B में नामांकन दाखिल किये जाने की सूचना तैयार कराकर दाखिल करने वाली तिथि को ही नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया गया तथा उसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 को भेज दी गयी।
4. उक्त सभी नामांकन-पत्र, फार्म-26 तथा निर्वाचन आयोग द्वारा नाम-निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पदा, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी दाखिल किये जाने वाले शपथ-पत्र (प्ररूप-26) की छाया प्रतियां नामांकन-पत्र दाखिल करने वाली तिथि को ही जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को तथा मीडिया को उपलब्ध कराया गया।
5. दिनांक 14 अगस्त, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे श्री जय प्रकाश द्वारा दाखिल किये गये नामांकन पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों की संवीक्षा आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में की गई। संवीक्षा में श्री जय प्रकाश द्वारा दाखिल नामांकन पत्र वैध पाये गये।

6. संवीक्षा के उपरांत विधिमान्यतः नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 8 के अनुसार प्ररूप-4 (हिन्दी में)/FORM-4 (अंग्रेजी में) तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षरोपरान्त एक प्रति नोटिस बोर्ड पर तथा उसकी दो-दो प्रतिलिपि प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गई।

7. दिनांक 17 अगस्त, 2020 को अपराह्न 03.00 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्वाचन से अपना नाम वापस न लिये जाने के फलस्वरूप निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 10 (1) के अनुसार प्ररूप 7 ख (हिन्दी)(संलग्न)/FORM 7B (संलग्न) में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कराकर प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 को तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को प्रेषित की गई।

8. तदुपरान्त निर्वाचन का परिणाम प्ररूप 21 ख (हिन्दी) (संलग्न)/FORM 21 B (अंग्रेजी)(संलग्न) में तैयार करा कर रिटर्निंग आफिसर द्वारा घोषित किया गया।

उ.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र श्री बेनी प्रसाद वर्मा के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु राज्यसभा उपनिर्वाचन

प्ररूप 2 ग

(नियम 4 देखिये)

नाम-निर्देशन-पत्र

राज्य सभा के लिये निर्वाचन

समय - 11.50 पूर्व

①

13.08.2020



भा.नि.नि. 13.8.2020
की प्र.स.स.स. - 544
लि.म. 1
र.नि.स. 1
170161
13.8.2020
13.8.2020

भाग-1

हम एतद्द्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम-निर्दिष्ट करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम जय प्रकाश पिता/भ्राता/पति का नाम श्री राम प्रताप
उसका डाक पता मो. नं० 60 (पो. नं० नंद शिवपुरी कोलोनरी)
मो. मिर्जापुर आना रामगढ़ताल
गोरखपुर 273209

उसका नाम 322 गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक
नामावली के भाग सं० 358 में क्रम-संख्या 64A पर
प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन रखी गयी सूची में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और उस नाम-निर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम-सं०	गई सूची में प्रविष्टि क्रम संख्यांक	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5
1	135-शाहजहाँपुर	श्री सुरेश कुमार खन्ना	सुरेश कुमार खन्ना	13.8.20
2	173-लखनऊ	श्री आशुतोष टंडन "गोपालजी"	आशुतोष टंडन	13.8.20
3	338-पथरदेवा	श्री चर्च प्रताप शाही	चर्च प्रताप शाही	13.8.20
4	263-इलाहाबाद दक्षिण	श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'	नन्द गोपाल गुप्ता	13.8.20
5	330-पडरौना	श्री लक्ष्मी प्रसाद मोर्च	लक्ष्मी प्रसाद मोर्च	13.8.20
6	288-कैसरगंज	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	मुकुट बिहारी वर्मा	13.8.20
7	300-मनकापुर (अ०जा०)	श्री रामा पति शान्ती	रामा पति शान्ती	13.8.20
8	170-खरोजनीनगर	श्रीमती लक्ष्मी सिंह	लक्ष्मी सिंह	13.8.20
9	175-लखनऊ कै-होम-ट	श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	सुरेश चन्द्र तिवारी	13.8.20
*10	366-जौनपुर	श्री गिरीश चन्द्र यादव	गिरीश चन्द्र यादव	13.8.20

*प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रतिशत या निर्वाचकगण के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिये।

मैं, उपरि वर्णित अभ्यर्थी, इस नाम-निर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने 48 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ग) मैं इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ;

(घ) मेरा नाम और मेरे (पिता/माता/पति का नाम) ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और

(ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में रिक्त स्थान भरने के लिये चुने जाने के हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले राज्य सभा के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम-निर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और नहीं किया जाऊंगा।

तारीख ... 13/08/2020

गुणगोदा सहेली
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग-2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये, सिद्धदोष ठहराया गया है; या

हाँ/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसके (जिनके) लिये उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक

लागू नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं

(iii) सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

लागू नहीं

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें)

लागू नहीं

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिनोंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

लागू नहीं

(vi) अधिरूपित दण्ड [कारावासों की अवधि और/या (जुमाने) की राशि उपदर्शित करें]

लागू नहीं

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)

लागू नहीं

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किये गये थे; हाँ/

नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख व विशिष्टियाँ

लागू नहीं

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का/के नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किये गये थे

लागू नहीं

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित हैं

लागू नहीं

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागू नहीं

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति लागू नहीं

"(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ?..... (हां/नहीं)

-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे... लागू नहीं

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ? (हां/नहीं)

-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है... लागू नहीं

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है ?..... (हां/नहीं)

-यदि हां, ब्यौरे दीजिए... लागू नहीं

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है ?.....

(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हित किये जाने की अवधि... लागू नहीं

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिये पदच्युत किया गया है ?..... (हां/नहीं)

-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख... लागू नहीं

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान सविदा (सविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिये या उस सरकार द्वारा किये संकर्म के निष्पादन के लिये शेयर रखता है ?..... (हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान सविदा (ओं) के ब्यौरे... लागू नहीं

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कम्पनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अधिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है ?..... (हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे... लागू नहीं

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है ?..... (हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हन की तारीख... लागू नहीं.."

स्थान : लखनऊ

तारीख : 13/08/2020

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग-3

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाये)

नाम-निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या

यह नाम-निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में (तारीख) को (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्थापक (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

टिप्पण :-जहां कहीं अनुकल्प दिये गये हैं वहां लागू होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग-4

नाम-निर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम-निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

ड. प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री बेनी प्रसाद वर्मा के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु राज्य सभा उप निर्वाचन

प्ररूप 2 ग

(नियम 4 देखिये)

नाम-निर्देशन-पत्र

राज्य सभा के लिये निर्वाचन



आ. ज. कि. ता. 13.8.2020
 वी. प. 10. 1000 -
 6141 मि. 11,
 2106 कि. मी.,
 17816 मि. 11 -
 13. 8. 2020
 श्री. बी. प्रसाद
 13. 8. 2020

र. म. थ. 11.51 पूर्वकक्ष

(2)

13.08.2020

भाग-1

हम एतद्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम-निर्दिष्ट करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम जय प्रकाश पिता/मत्ता/पुत्र का नाम श्री राम प्रताप

उसका डाक पता म. 6.0, (पो. न. शिवपुरी कालोनी)

मिजापुर

ग्रामा रामगढ़ ताल

गोरखपुर 273209

उसका नाम 322 गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक

नामावली के भाग सं० 358 में क्रम-संख्या 644 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन रखी गयी सूची में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और उस नाम-निर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

धारा 152 के अधीन रखी

क्रम-सं०	गई सूची में प्रविष्टि क्रम संख्यांक	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5
1	361-खलिया नगर	श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल	आनन्द स्वरूप शुक्ल	13.8.20
2	126-आंवला	श्री धर्मपाल सिंह	धर्मपाल सिंह	13.8.20
3	207-सिकन्दरा	श्री अजीत सिंह पाल	अजीत सिंह	13.8.20
4	138-निघासन	श्री शशांक वर्मा	शशांक वर्मा	13.8.20
5	236-चित्तकूट	श्री चन्द्रिका प्रमोद उपाध्याय	चन्द्रिका प्रमोद उपाध्याय	13.8.20
6	149-बिसवां	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	महेन्द्र प्रताप सिंह	13.8.20
7	267-रामनगर	श्री शरद कुमार अवस्थी	शरद कुमार अवस्थी	13.8.20
8	91-जातेहपुर सौक	श्री उदयशान्ति सिंह	उदयशान्ति सिंह	13.8.20
9	291-जटरा नजारा	श्री बाबन सिंह	बाबन सिंह	13.8.20
*10	172-लखनऊ उत्तर	श्री नीरज बोरा	नीरज बोरा	13.8.20

*प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रतिशत या निर्वाचकगण के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिये।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नाम-निर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने 4.8 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ग) मैं इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ;

(घ) मेरा नाम और मेरे (पिता/माता/पति का नाम) ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और

(ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में रिक्त स्थान भरने के लिये चुने जाने के हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले राज्य सभा के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम-निर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख ... 13/08/2020 ...

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग-2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये, सिद्धदोष ठहराया गया है; या

हां/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसके (जिनके) लिये उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हां" में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक

लागू नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं

(iii) सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारण) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

लागू नहीं

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें)

लागू नहीं

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

लागू नहीं

(vi) अधिरोपित दण्ड [कारावासों की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें]

लागू नहीं

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)

लागू नहीं

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किये गये थे; हां/

नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख व विशिष्टियां

लागू नहीं

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का/के नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किये गये थे

लागू नहीं

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लम्बित हैं

लागू नहीं

5	आश्रित-2-जनमेजय	कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है।	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(ii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iv) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(v) लागू नहीं होता
6	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(ii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iv) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(v) लागू नहीं होता

टिप्पण : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिये स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) ने होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिये कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है।"

5. लम्बित आपराधिक मामले

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता होता है लिखें)

या

मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लम्बित हैं :- लागू नहीं होता होता है।

- (ii) यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लम्बित हैं तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लम्बित मामलों का व्यौरे दें)

सारणी

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ग)	अन्तर्वलित सम्बद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं० दें, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ङ)	क्या आरोप विरचित किये गये हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो यह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किये गये थे	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिये आवेदन फाइल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

गुणगुणदा शाही

भाग-3

(रिटर्निंग आफीसर द्वारा भरा जाये)

नाम-निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या

यह नाम-निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में (तारीख) को (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्थापक (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख

रिटर्निंग आफीसर

टिप्पण :-जहां कहीं अनुकल्प दिये गये हैं वहां लागू होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग-4

नाम-निर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफीसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम-निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :

तारीख

रिटर्निंग आफीसर


भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु 10

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL



UTTAR PRADESH

प्ररूप-26

(नियम 4क देखिए)


Photostat
ATTACHED
13/8/2020 062007



NOTARY

विधानसभा

उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)



राज्यसभा.....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं, जय प्रकाश.....**पुत्र/पुत्री/पत्नी.....श्री रामप्रताप...आयु...48...वर्ष, जो...60 निर्जापुर थाना-रामगढताल, पोस्ट-न्यू शिवपुरी कालोनी, गोरखपुर...(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं भारतीय जनता पार्टी..(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। NOTARY (**जो लागू न हो उसे काट दें)

2. मेरा नाम...जय प्रकाश (322 गोरखपुर शहर, उत्तर प्रदेश)...(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य की नाम) में भाग सं०.....358.....के क्रम सं०.....644.....पर प्रविष्ट है। जयप्रकाश सोहन

13/8/2020

3. मेरा/मेरे.....8765955025.....सम्पर्क दूरभाष संख्या/संख्यायें है/हैं और...
exministerjpnishad1970@gmail.com.....मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो) है तथा
मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) है/हैं

- (i) लागू नहीं होता.....
(ii)लागू नहीं होता.....
(iii).....लागू नहीं होता.....

4. स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्र. सं	नाम	पी.ए.एन. (स्थाई खाता संख्या)	यह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिये आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं-जय प्रकाश	ANHPS1504M	2019-2020	(i) 19,3580
			2018-2019	(ii) 18,2540
			2017-2018	(iii) 1,78,750
			2016-2017	(iv) 2,90,700
			2015-2016	(v) 2,70,800
2	पति या पत्नी-मनोरमा जयप्रकाश साहनी	ARAPS5133P	2019-2020	(i) 38,750
			2018-2019	(ii) लागू नहीं
			2017-2018	(iii) 68,750
			2016-2017	(iv) 1,38,400
			2015-2016	(v) 1,25,200
3	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(ii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iv) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(v) लागू नहीं होता
4	आश्रित-1-प्रसंजय	कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है।	लागू नहीं होता	(i) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(ii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iii) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(iv) लागू नहीं होता
		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(v) लागू नहीं होता



13/8/20

339/4
Kashipur
Road

प्रसंजय साहनी

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागू नहीं

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति लागू नहीं

“(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ?..... (हां/नहीं) ✓

-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे... लागू नहीं

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ? (हां/नहीं) ✓

-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है... लागू नहीं

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है ?..... (हां/नहीं) ✓

-यदि हां, ब्यौरे दीजिए... लागू नहीं

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है ?.....

(हां/नहीं) ✓

-यदि हां, निरर्हित किये जाने की अवधि... लागू नहीं

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिये पदच्युत

किया गया है ?..... (हां/नहीं) ✓

-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख... लागू नहीं

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा

(संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिये या उस सरकार द्वारा किये संकर्म के निष्पादन के लिये शेयर रखता है ?..... (हां/नहीं) ✓

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे... लागू नहीं

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कम्पनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अधिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है

जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है ?..... (हां/नहीं) ✓


-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे... लागू नहीं

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है ?..... (हां/नहीं) ✓

-यदि हां, निरर्हन की तारीख... लागू नहीं

स्थान : लखनऊ

तारीख : 13/08/2020


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

6. दोषसिद्धि के मामले,-

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता होता है लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया गया है :- लागू नहीं होता है

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गयी सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ग)	अन्तर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं० दें, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिये दोषसिद्ध किया गया है	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ङ)	दोषसिद्ध के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(च)	अधिरोपित दण्ड	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ)	क्या दोषसिद्ध के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिये गये अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लम्बित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल की पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुये, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिये]

टिप्पण :-

1-ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिये।

2-प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तम्भों के अधीन प्रत्येक मामले के लिये ब्यौरे पृथक रूप से दिये जाएं।

3-ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिये तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।

4-यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।

5-अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं०-536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

क - जंगम आस्तियों के ब्यौरे :-

टिप्पण -1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण -2- जमा/विनिधान की दशा में कम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण -3- सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण -4- "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से सम्बंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण -5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

टिप्पण -6- ब्यौरे में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिये।

स्पष्टीकरण :- इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं;

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	1,00,000	50,000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे, (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1-सिडीकेट बैंक, बारी, खाता संख्या-54783070000985 रु०-35,769/- 2-ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, खाता संख्या-1120215101387 रु०-8,000/- 3-इलाहाबाद बैंक, खाता संख्या-50099219118 रु०-5,000/- 4-सिडीकेट बैंक, खाता संख्या-54783070000778 रु०-4,000/- 5- ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, खाता संख्या-11201010009440 रु०-20,000/-	1- ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स (OBC), खाता संख्या-11202110020950 रु०-10,500/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	कम्पनियों/प्रारम्भिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों/डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

गणेश साहू

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में बीमा विनिधन के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	जीवन बीमा-6,00,000/-	जीवन बीमा-10,00,000/-	लागू नहीं होता	जीवन बीमा-2,00,000/-	जीवन बीमा-2,00,000/-	लागू नहीं होता
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	मोटरयान वाहन/वायुयान/याच/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	Car-UP53 BU7707 Model-2015 मूल्य-24,00,000/- बैंक ऋण-20,00,000/-	Car-MH43 AJ7707 Model-2011 मूल्य-17,83,632/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	जेवरात, बुलियन, और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	गोल्ड-150 ग्राम, वर्तमान कीमत-7,20,000	गोल्ड-200 ग्राम, वर्तमान कीमत-9,60,000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	सकल कुल मूल्य	38,92,769/-	38,04,132/-	लागू नहीं होता	2,00,000/-	2,00,000/-	लागू नहीं होता

ख - स्थावर आस्तियों का ब्यौरे:-

टिप्पण - 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण - 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 3- ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।


क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	लागू नहीं होता	गाटा संख्या-1247	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं होता	0.251 हे०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या अधिरोसत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं


जियुमदा राणी

	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	31-03-2015	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	8,50,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित बलू बाजार मूल्य NOTAR	लागू नहीं होता	15,00,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	भूखण्ड संख्या-1/749	पुरतक संख्या-डी 1875 पृष्ठ संख्या-353	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	288 वर्ग मी0	1686.40 वर्ग मी0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	26 जुलाई 2014	18 मार्च 2013	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	51,36,000/-	37,00,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित बलू बाजार मूल्य NOTAR	65,00,000/-	37,00,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

गुणकान्त साहनी

	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	न्यू अलखनन्दा हा.को. सेक्टर-14, सी-3, एस-14, वासी नवी मुम्बई	मौजा राघोपुर चौरी-चौरा गोरखपुर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	48.8 मी०	रकबा 460.68 वर्ग मी०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2100 वर्ग फु०	4959 वर्ग फु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	30-11-2005	26-07-2015	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	15,00,000/-	10,50,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता




 Vinod Kumar Shukla
 Adv./Notary
 339/41, Triveni Ghat
 Kaubasta Lucknow
 Regd. No. 31712000


गणपति साहू

	अनुमानित बाजार मूल्य NOTARY	1,00,00,000/-	20,00,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(V)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में, हित)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	1,65,00,000/-	72,00,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरे का अलग-अलग विवरण दें)


क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	1-इलाहाबाद बैंक-कार लोन-रु०-5,00,000 2-इलाहाबाद बैंक-मार्गेज लोन-रु०-37,74,877 3-ओरियन्टल ऑफ कामर्स, शाखा-नवी मुम्बई लोन रु-29,46,378/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्ही अन्य व्यष्टिकों निकाय, को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण का प्रकृति	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	दायित्वों का कुल योग	72,21,256/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



13/8/20
Vinod Kumar Shukla
339/41, Faizabad
Lucknow
31/7/2007

(Vinod Kumar Shukla)

(ii)	सरकारी शोध सरकारी आवास से विभागों का शोध	क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आवास के अधिभोग में हैं? ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :- (i) सरकारी आवास का पता : लागू नहीं होता (ii) उपरोक्त सरकारी आवास के सम्बन्ध में, निम्नलिखित के मददे कोई शोध संदेय नहीं है :- (क) भाटक; - लागू नहीं होता (ख) विद्युत प्रभार; - लागू नहीं होता (ग) जल प्रभार; और . लागू नहीं होता (घ) (तारीख) को टेलीफोन प्रभार . लागू नहीं होता [तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अन्तिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिये] टिप्पण :- उपरोक्त सरकारी आवास के लिये भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत सम्बन्धित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिये।	हां/नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगायें)				
(iii)	सरकारी परिवहन से सम्बन्धित विभाग को शोध (जिसके अन्तर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)						
		रवयं	पति/पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iv)	आयुक्त शोध	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	जीएसटी शोध	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	नगर पालिका/सम्पत्ति कर शोध	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	कोई अन्य शोध	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अन्तर्गलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लम्बित है, उल्लेख करें।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



249
13/8/20
Kumar
Lucknow

Prakash Singh

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं-.....राजनीति.....

(ख) पति या पत्नी-.....गृहणी.....

(9क) आय के स्रोत (स्रोतों के ब्यौरे):-

(क) स्वयं-.....पेंशन (पूर्व विधायक).....

(ख) पति या पत्नी-.....लागू नहीं होता.....

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों.....लागू नहीं होता.....

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं -

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे-.....लागू नहीं होता.....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे-.....लागू नहीं होता.....

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....लागू नहीं होता.....

(घ) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....लागू नहीं होता.....

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार है.....लागू नहीं होता.....

(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा है.....लागू नहीं होता.....।

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

बी.ए. स्नातक, बी.आर.डी.पी.जी. कालेज, देवरिया, सम्बद्ध दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर वर्ष 1998.....(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग - ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरो का सारांश :

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री जय प्रकाश
2.	डाक का पूरा पता	म0नं0-60, मिर्जापुर, थाना, रामगढ़ताल, पोस्ट-न्यू शिवपुरी कालोनी, गोरखपुर, उ0प्र0
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	322, गोरखपुर शहर, उ0प्र0
4.	राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	भारतीय जनता पार्टी
5.	लम्बित/आपराधिक मामलों की कुल संख्या	लागू नहीं होता
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।	लागू नहीं होता

(Handwritten Signature)

NOTA
Vinod Kumar Sankhe
ADVOTARY
Regd. No. 347/112000
HO Lko
U.P. India


13/8/17

339/41, Triveni G.
Asubasta Luckno

7.		स्थायी लेखा सं० (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरण फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	ANHPS1504M	2019-2020	19,35,80
	(ख) पति या पत्नी	ARAPS5133P	2019-2020	38,750
	(ग) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(घ) आश्रित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8 आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपयों में ब्यौरे -

विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	38,92,769 /-	38,04,132 /-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ख स्थावर आस्तियां	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
i * स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	66,36,000 /-	46,55,000 /-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ii क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास/सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
iii अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत-	1,65,00,000 /-	72,00,000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
30.11.2020 (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	(क) 2,03,92,769 /- (ख) लागू नहीं होता	(क) 1,10,04,132 /- (ख) लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



13/8/20
No. 30
Vinod Kumar
Adv./Notary
339/41, Tivani
Naubasta Lucknow
Regd. No.

गणपति साहनी

9	दायित्व							
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	72,21,255/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	72,21,255/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
उच्चतम शैक्षिक अर्हता : बी०ए०, डिग्री पाठ्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर वर्ष 1998 (प्रमाण—पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)								

सत्यापन

मैं ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की शिष्य-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्ध का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्ध का मामला या लम्बित मामला नहीं है;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख, 31.08.2020 को सत्यापित किया गया।

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

(Signature)
अभिसाक्षी

टिप्पण : 1-शपथ पत्र नामांकन फाइल करने के अन्तिम दिन को अपराह्न 3:00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2-शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3-सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4-शपथ पत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साथ-साथ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5-शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, शपथ-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ-पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टाम्प होनी चाहिये।

(Signature)
Adv/Notary

(Signature)
अभिसाक्षी

प्रखूप 21 ख

(निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 11 (1) देखिए)

(आकरिमक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। श्री बेनी प्रसाद वर्मा के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उप धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री जय प्रकाश,

मकान नं०-60, (पो० न्यू शिवपुरी कालोनी) मो० मिर्जापुर थाना रामगढ़ ताल, गोरखपुर-273209 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं,

उस सदन में श्री बेनी प्रसाद वर्मा की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।


स्थान: विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक: 17 अगस्त, 2020.



विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(पटल कार्यालय)


(बृज भूषण दुबे)
रिटर्निंग आफिसर
एवं
विशेष सचिव, विधान सभा।


संख्या: 961/वि०स०/प०का०/42(प)/2020

दिनांक 17 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली (फैक्स सं० 011-2305 2525),
2. सचिव, भारत सरकार, विधि, न्याय एवं कम्पनी सम्बन्धी मंत्रालय(विधायी विभाग), नई दिल्ली (फैक्स सं० 011-2338 4054),
3. महासचिव, राज्य सभा सचिवालय(कमरा नं० 33, टेबुल आफिस), संसद भवन, नई दिल्ली (फैक्स सं० 011-2379 2940),
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. निर्वाचित अभ्यर्थी,
6. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ,
7. निदेशक(समाचार), दूरदर्शन, लखनऊ,
8. महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली

को इस निवेदन के साथ कि उक्त सूचना को तुरन्त अगले समाचारों में प्रसारित करने की कृपा करें।


(बृज भूषण दुबे)
रिटर्निंग आफिसर

एवं
विशेष सचिव विधान सभा।

FORM 21 B

[See rule 11(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961]
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is uncontested)

Declaration of the result of Election under sub-section (2) of section 53 of the Representation of People Act, 1951.

Bye-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to fill the vacancy of **Shri Beni Prasad Verma**.

In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of the rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Sri Jay Prakash,

House No.- 60, (PO. New Shivpuri Colony) Mo. Mirjapur, Thana Ramgadh Tal, Gorakhpur-273209 sponsored by Bhartiya Janata Party,

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of **Shri Beni Prasad Verma**.

B. B. Dubey

Place: Vidhan Bhawan, Lucknow.
Dated: August 17, 2020.

(Brij Bhushan Dubey)
Returning Officer
And
Special Secretary,
Legislative Assembly,
Uttar Pradesh



निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री बेनी प्रसाद वर्मा के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु राज्य सभा के लिये उप-निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्ध
1	2	3	4


मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी


1. जय प्रकाश, श्री



म.न.-60, (पो0 न्यू शिवपुरी कालोनी) मो. मिर्जापुर थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर-273209 भारतीय जनता पार्टी

स्थान: विधान भवन, लखनऊ।
दिनांक: 17 अगस्त, 2020





(बृज भूषण दुबे)
रिटर्निंग आफिसर,
एवं
विशेष सचिव, विधान सभा।

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(पटल कार्यालय)

संख्या: 960 / वि0स0 / प0का0 / 42(प) / 2020

दिनांक 17 अगस्त, 2020

1. प्रतिलिपि पांच अंग्रेजी प्रति सहित, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित(फैक्स संख्या 011- 2305 2525).
2. प्रतिलिपि एक अंग्रेजी प्रति सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को सूचनार्थ एवं सरकारी गजट में तुरन्त प्रकाशनार्थ प्रेषित,
3. प्रतिलिपि एक अंग्रेजी प्रति सहित, उपर्युक्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को प्रेषित।


(बृज भूषण दुबे)

FORM 7 B

[See Rule 10(1) Of The Conduct Of Elections Rules, 1961]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Bye-Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to fill the vacancy of **Shri Beni Prasad Verma**

Sl. No.	Name of candidate	Address of candidate	Party Affiliation
1	2	3	4

Candidates Of Recognised National And State Political Parties

1. **Jay Prakash, Sri.**




House No.- 60 (PO. New Shivpuri Colony) Mo. Mirjapur, Thana Ramgadh Tal, Gorakhpur - 273209

Bhartiya Janata Party

Place: Vidhan Bhawan, Lucknow.
Dated: August 17, 2020.




(BRIJ BIUSHAN DUBEY)
RETURNING OFFICER
AND
SPECIAL SECRETARY
LEGISLATIVE ASSEMBLY
UTTAR PRADESH

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी ,उत्तर प्रदेश
चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

प्रेस- नोट

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिये निर्वाचित सदस्य श्री बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान की पूर्ति हेतु उप निर्वाचन कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम नियत किया गया है :-

1-	नाम निर्देशन की अधिसूचना का दिनोंक	06 अगस्त, 2020	(वृहस्पतिवार)
2-	नाम निर्देशन हेतु अन्तिम दिनोंक	13 अगस्त, 2020	(वृहस्पतिवार)
3-	नाम निर्देशन की जाँच हेतु दिनोंक	14 अगस्त, 2020	(शुक्रवार)
4-	नाम वापसी हेतु अन्तिम दिनोंक	17 अगस्त, 2020	(सोमवार)
5-	मतदान का दिनोंक	24 अगस्त, 2020	(सोमवार)
6-	मतदान का समय	9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक	
7-	मतगणना का दिनोंक	24 अगस्त, 2020	(सोमवार) सायं 5.00 बजे से
8-	वह दिनोंक जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा	26 अगस्त, 2020	(बुद्धवार)

स्थान : लखनऊ
दिनोंक 30.07.2020

अजय कुमार शुक्ला
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या-470/सी0ई0ओ0-2- तददिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/महामंत्री समस्त मान्यता राजनैतिक दल, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।
- 6- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 7- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 8- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस नोट को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
- 10- निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
- 11- निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।

Cal 30.07.2020
(रमेश चन्द्र राय)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।